राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

रिकॉल प्रार्थना–पत्र 07/2025
अपील संख्या :– 250/2024

दिनेश **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर (भू–अभिलेख), जोधपुर।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. सुभाष किशन, पटवारी पालड़ी तहसील गांधव कलां तहसील गुढामलानी, जिला बाड़मेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.03.2025
आदेश की दिनांक : 23.04.2025

उपस्थित :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हरीश जांगिड़, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपील संख्या 250/2024 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2025 के पुनःसुनवाई हेतु रिकॉल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जाकर आलोच्य निर्णय पर पुनर्विचार हेतु निवेदन किया है।
2. अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया।
3. हमने प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थना–पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया।
4. अपील संख्या 250/2024 के तथ्य यह है कि यह अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश दिनांक 10.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह निवेदन किया गया था कि निजी प्रत्यर्थी सुभाष किशन को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित कर दिया एवं अपीलार्थी को संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 25.07.2024 द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 को अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने तक अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2024 को जवाब प्रस्तुत करने पर अंतरिम स्थगन आदेश स्वतःनिष्प्रभावी होने के आदेश अधिकरण द्वारा दिनांक 22.01.2025 को

जारी किए। प्रत्यर्थी जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा एक अन्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2025 अपीलार्थी के संबंध में जारी किया। जिसमें निजी प्रत्यर्थी गीता चौधरी है। जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा सुभाष किशन का अन्यत्र पदस्थापन किया गया। अतः आदेश दिनांक 10.03.2024 प्रभावी नहीं रहने एवं सुभाष किशन का अन्यत्र स्थान्तरण होने के आधार पर नये आदेश दिनांक 13.01.2025 के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष नई अपील संख्या 23 / 2025 दिनांक 17.01.2025 को प्रस्तुत की जिसमें अधिकरण ने दिनांक 23.01.2025 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया। इसके पश्चात् अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.01.2025 को निवेदन किया कि अपील संख्या 250 / 2024 सारहीन / निरर्थक हो गई। जिस पर अधिकरण द्वारा अपील खारिज की गई।

5. हम यह पाते है कि अपील संख्या 250 / 2024 में जिस आदेश को चुनौती दी गयी उसके पश्चात् अन्य स्थानांतरण आदेश पारित हो चुका है एवं निजी प्रत्यथ्री सुभाष किशन का अन्यत्र पदस्थापन हो चुका है। अतःअपील संख्या 250 / 2024 में पारित निर्णय को रिकॉल करने का कोई आधार नहीं है।

6. अतः अपील संख्या 250 / 2024 के संबंध में रिकॉल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य